



# पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 166/अका./का.प/2021

रायपुर, दिनांक 04/10/2021

## विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की साठवीं बैठक मंगलवार दिनांक 12.10.2021 को अपराह्न 3.00 बजे की विषयसूची

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.08.2021 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना।  
(पृष्ठ क्र 1 से 9 तक)

टीप: कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.08.2021 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

### अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

3. अर्थशास्त्र अध्ययनशाला में संचालित सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम (अर्थमिति एवं गणितीय अर्थशास्त्र) की फीस सत्र 2021-22 से रुपए 5000/- (रुपए पाँच हजार मात्र) के स्थान पर रुपए 2500/- (रुपए दो हजार पाँच सौ मात्र) किए जाने की सूचना ग्रहण करना।  
(पृष्ठ क्र. 10)

टीप : अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में संचालित सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम अर्थमिति एवं गणितीय अर्थशास्त्र की फीस सत्र 2021-22 से रुपए 5000/- (रुपए पाँच हजार मात्र) के स्थान पर रुपए 2500/- (रुपए दो हजार पाँच सौ मात्र) किए जाने संबंधी अधिसूचना क्रमांक 7/अका./2021 रायपुर, दिनांक 16.09.2021 सूचनार्थ प्रस्तुत है।

### वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

4. स्व. श्री प्रफुल्ल कुमार शुक्ला, प्रथम श्रेणी लिपिक, परीक्षा विभाग की सी.पी.एफ. राशि रुपए 11,68,659.00 (रुपए ग्यारह लाख अड़सठ हजार छः सौ उनसठ मात्र) के अंतिम भुगतान के संबंध में विचार करना।

टीप : स्व. श्री प्रफुल्ल कुमार शुक्ला, प्रथम श्रेणी लिपिक, परीक्षा विभाग दिनांक 10.04.2021 को आकस्मिक निधन हो गया है। विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 2021/सा.प्रशा./2021 रायपुर, दिनांक 01.07.2021 के द्वारा इनके विरुद्ध विश्वविद्यालय का कुछ भी लेना शेष नहीं है। इनके सी.पी.एफ. खाता क्रमांक 10049602096/33810221470 में राशि निम्नानुसार जमा है -

(1) स्वयं अंशदान में जमा राशि रुपए	10,81,792.00	
(2) अंशदान पर प्राप्त ब्याज की राशि रुपए	86,867.00	(01.01.2021 से 30.06.2021 तक जमा राशि पर प्राप्त ब्याज)
भुगतान योग्य कुल राशि रुपए	11,68,659.00	

(रुपए ग्यारह लाख अड़सठ हजार छः सौ उनसठ मात्र)

5. छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्र. 583/एफ 2013-04-00416/वि/नि/चार दिनांक 17.09.2021 वित्त निर्देश 24/2021 द्वारा महंगाई भत्ते की 01.07.2021 से जारी किश्त को विश्वविद्यालय कर्मियों के लिए लागू करने एवं तदनु रूप किए गए भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करना।

टीप : 1. छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्र. 583/एफ 2013-04-00416/वि/नि/चार दिनांक 17.09.2021 वित्त निर्देश 24/2021 द्वारा महंगाई भत्ते की दर में निम्नानुसार वृद्धि की गई है –  
सातवाँ वेतनमान – 01.07.2021 से – 12 प्रतिशत से 17 प्रतिशत  
छठवाँ वेतनमान – 01.07.2021 से – 154 प्रतिशत से 164 प्रतिशत  
2. उपरोक्तानुसार विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है। जिसके एरियर्स के रूप में कुल राशि रुपए 26,81,605.00 (रुपए छब्बीस लाख इक्यासी हजार छः सौ पाँच मात्र) का भुगतान किया गया है।  
3. उपरोक्त के अनुसार कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान दिनांक 01.09.2021 से नियमित किया जाएगा। कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

6. डॉ. एन.के. बाघमार, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रुपए 31,11,237.00 (रुपए इकत्तीस लाख ग्यारह हजार दो सौ सैंतीस मात्र) के कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करना।

टीप : डॉ. एन.के. बाघमार, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, सी.पी.एफ. खाता का अंतिम भुगतान राशि रुपए 31,11,237.00 (रुपए इकत्तीस लाख ग्यारह हजार दो सौ सैंतीस मात्र) कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में भुगतान किया गया है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

7. डॉ. एन.के. बाघमार, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, भूगोल अध्ययनशाला का 220 दिनों के अवकाश नगदीकरण के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करना।

टीप : विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 2576 दिनांक 17.08.2021 के अनुसार डॉ. एन.के. बाघमार, प्राध्यापक, भूगोल अध्ययनशाला को सेवानिवृत्ति उपरांत कुल 220 दिनों के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

दिनांक 24.08.2021 को उपरोक्त आदेश के परिपालन में डॉ. बाघमार को अवकाश नगदीकरण के रूप में कुल रु. 16,39,381.00 (रुपए सोलह लाख उनचालिस हजार तीन सौ इक्यासी मात्र) का भुगतान कार्यपरिषद् की कार्योत्तर स्वीकृति की प्रत्याशा में की गई है।

डॉ. एन.के. बाघमार, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, भूगोल अध्ययनशाला का 220 दिनों के अवकाश नगदीकरण के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

8. डॉ. सुशील कुमार इंदूरकर, सहायक प्राध्यापक, प्रबंध संस्थान के चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप : डॉ. सुशील कुमार इंदूरकर, सहायक प्राध्यापक, प्रबंध संस्थान, कोरोना से संक्रमित हो जाने के कारण हॉस्पिटल में भर्ती रहे जिसकी चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपए 5,72,185/- (रुपए पाँच लाख बहत्तर हजार एक सौ पच्यासी मात्र) के भुगतान का आवेदन प्राप्त हुआ है।

डॉ. सुशील कुमार इंदूरकर, को उक्त राशि की चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

9. विश्वविद्यालय में कार्यरत् कर्मचारियों को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने वाले एवं धारणाधिकार समाप्ति करने के फलस्वरूप कार्यमुक्त होने पर सी.पी.एफ. की अंतिम भुगतान राशि रूपए 13,10,703.00 (रूपए तेरह लाख दस हजार सात सौ तीन मात्र) के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।

टीप : विश्वविद्यालय में कार्यरत् कर्मचारियों को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने वाले एवं धारणाधिकार समाप्ति के फलस्वरूप धारणाधिकार अवधि 2 वर्ष का पूर्ण रूप से कार्यमुक्त एवं अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने वाले निम्नलिखित कर्मचारियों का सी.पी.एफ. राशि रूपए 13,10,703.00 (रूपए तेरह लाख दस हजार सात सौ तीन मात्र) का अंतिम भुगतान हेतु कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है :-

क्र.	नाम/पद नाम	धारणाधिकार अवधि/सेवानिवृत्त दिनांक	अधिवार्षिकी/धारणाधिकार	सी.पी.एफ. राशि का अंतिम भुगतान	रिमार्क
1.	श्री विवेक तिवारी, कंप्यूटर प्रोग्रामर	05.07.2020	धारणाधिकार समाप्त	5,87,137.00	
2.	श्री संतोष कुमार गोड़, कक्ष अधिकारी	31.07.2021	अधिवार्षिकी	3,30,174.00	
3.	श्री दिलीप कुमार गोस्वामी, द्वि.श्रे.लि.	31.08.2021	अधिवार्षिकी	3,93,392.00	
योग -				13,10,703.00	
(रूपए तेरह लाख दस हजार सात सौ तीन मात्र)					

10. डॉ. रामानुज शर्मा, सेवानिवृत्त टेक्नीकल असिस्टेंट, उपाधि/नामांकन, के सी.पी.एफ. राशि रूपए 11,08,139.00 (रूपए ग्यारह लाख आठ हजार एक सौ उनचालीस मात्र) के अंतिम भुगतान की सूचना ग्रहण करना।

टीप : डॉ. रामानुज शर्मा, सेवानिवृत्त टेक्नीकल असिस्टेंट, उपाधि/नामांकन दिनांक 30.06.2021 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 2943/सा.प्रशा./2021 दिनांक 21.09.2021 के द्वारा इनके विरुद्ध विश्वविद्यालय का कुछ भी लेना शेष नहीं है। इनके सी.पी.एफ. खाता क्रमांक 10049605949/33810221470 में राशि निम्नानुसार जमा है:-

- |     |                                      |              |
|-----|--------------------------------------|--------------|
| (1) | स्वयं अंशदान में जमा राशि रूपए       | 10,26,167.00 |
| (2) | अंशदान पर प्राप्त ब्याज की राशि रूपए | 81,972.00    |
|     | भुगतान योग्य कुल राशि रूपए           | 11,08,139.00 |

(रूपए ग्यारह लाख आठ हजार एक सौ उनचालीस मात्र)

11. श्री अमर कुमार हरबंश, डाटा एंट्री आपरेटर, पं. सुदर लाल शर्मा ग्रंथागार, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के सी.पी.एफ. राशि रुपए 6,49,178.00 (रुपए छः लाख उनचास हजार एक सौ अठहत्तर मात्र) के अंतिम भुगतान की सूचना ग्रहण करना।

टीप : श्री अमर कुमार हरबंश, डाटा एंट्री आपरेटर, पं. सुदर लाल शर्मा ग्रंथागार का दिनांक 25.06.2021 को आकस्मिक निधन हो गया है। इनके सी.पी.एफ. खाता क्रमांक 10049603929/33810221470 में राशि निम्नानुसार जमा है –

(1)	स्वयं अंशदान में जमा राशि रुपए	6,38,664.00
(2)	अंशदान पर प्राप्त ब्याज की राशि रुपए	20,964.00
	भुगतान योग्य कुल राशि रुपए	6,59,628.00
		-10,450.00
		6,49,178.00

(रुपए छः लाख उनचास हजार एक सौ अठहत्तर रुपए मात्र)

12. विश्वविद्यालय के अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने वाले कर्मचारियों के अवकाश नगदीकरण की राशि रुपए 26,04,772.00 (रुपए छब्बीस लाख चार हजार सात सौ बहत्तर मात्र)के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करना।

टीप : विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप स्वीकृत अवकाश नगदीकरण की राशि रुपए 26,04,772.00 (रुपए छब्बीस लाख चार हजार सात सौ बहत्तर मात्र) की स्वीकृति उपरांत भुगतान किया है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत है :-

स.क्र.	शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारियों का नाम	सेवानिवृत्ति तिथि	राशि
1	डॉ. सी एल पटेल	30.06.2019	739347.00
2	श्री रामानुज शर्मा	30.06.2021	594828.00
3	श्री गोपाल चंदाकर	30.06.2021	587462.00
4	श्री तीर्थराम यादव	30.06.2021	418643.00
5	श्री दीलिप गोस्वामी	30.08.2021	264492.00
		कुलयोग	2604772.00
(रुपए छब्बीस लाख चार हजार सात सौ बहत्तर मात्र)			

विधिक प्रकोष्ठ से प्राप्त प्रस्ताव :-

13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में पैरवी हेतु दो अधिवक्ताओं के नाम, विश्वविद्यालय अधिवक्ता पैनल में सम्मिलित करने एवं प्रति प्रकरण पैरवी शुल्क रुपए 77000/- (रुपए सतहत्तर हजार मात्र) प्रदान किए जाने के संबंध में विचार करना।

टीप : माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में विश्वविद्यालय का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिवक्ता पैनल गठित किया जाना है तथा प्रति प्रकरण पैरवी शुल्क राशि रुपए 77000/- (रुपए सतहत्तर हजार मात्र) देय होगा, जिसमें कनिष्ठ एवं वरिष्ठ अधिवक्ता व सहयोगी अधिवक्ताओं को दिए जाने वाले सभी व्यय सम्मिलित है। इस हेतु दो अधिवक्ताओं ने आवेदन प्रस्तुत किया है –

1. डॉ. राजेश कुमार पाण्डेय,
2. श्री पद्मेश मिश्रा

माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

14. विश्वविद्यालय के तीन कर्मचारियों को समूह बीमा की मृत्यु दावा राशि रूपए 9,37,851/- (रूपए नौ लाख सैंतीस हजार आठ सौ इंक्यावन मात्र) के भुगतान की सूचना ग्रहण करना।

टीप : विश्वविद्यालय के निम्नलिखित कर्मचारियों को समूह बीमा की मृत्यु दावा राशि प्राप्त हुई है। उनके नाम के सम्मुख दर्शित अनुसार समूह बीमा की मृत्यु दावा राशि विश्वविद्यालय के सामान्य मद खाता क्र. 10049590033 में दिनांक 19.07.2021 को स्थानांतरित कर दी गई थी :-

1.	स्व. श्री टामकर प्रसाद जोशी, लैब टेक्नीशियन (नामांकन - श्रीमती शकुन्तला जोशी - धर्मपत्नी)	रु. 4,15,349=00
2.	स्व. श्री बंशी लाल टेकाम, प्र.श्रे.लि. (नामांकन - श्रीमती पूर्णिमा टेकाम - धर्मपत्नी)	रु. 3,26,391=00
3.	स्व. श्री जनक दास मानिकपुरी, लेब अटेंडेंट (नामांकन - श्रीमती मंजुला मानिकपुरी - धर्मपत्नी)	रु. 1,96,111=00
	<b>कुल</b>	<b>रु. 9,37,851=00</b>
(रूपए नौ लाख सैंतीस हजार आठ सौ इंक्यावन मात्र)		

उपरोक्तानुसार तीनों कर्मचारियों की कुल राशि रूपए 9,37,851/- (रूपए नौ लाख सैंतीस हजार आठ सौ इंक्यावन मात्र) को संबंधित कर्मचारियों के नामिनी को भुगतान किया गया है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत है।

15. विश्वविद्यालयीन चिकित्सा अधिकारी की अधिवाषिकी आयु को 62 से 65 वर्ष किए जाने के संबंध में विचार करना।

टीप : छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक 342/एफ 2013-17/00004/वित्त/नियम/चार दिनांक 08 अगस्त, 2013 वित्त निर्देश 50/2013 में छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम के तहत चिकित्सा पद पर नियुक्त छत्तीसगढ़ कर्मचारी राज्य बीमा (राजपत्रित) सेवा के सदस्य जिनकी वर्तमान में अधिवाषिकी आयु 60 वर्ष/62 वर्ष है में वृद्धि कर दिनांक 01.04.2013 से 65 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है। प्रकरण माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। (वित्त निर्देश 50/2013 संलग्न)

बायोटेक्नोलॉजी अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

16. नवाचार और स्टार्ट-अप नीति (Innovation & Startup Policy) पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में लागू करने एवं अनुमोदन के संबंध में विचार करना।

टीप : मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशानिर्देशों के अनुरूप पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर ने अब सैद्धांतिक रूप से अपने परिसर में इनोवेशन एंड स्टार्ट-अप पॉलिसी (आईएसपी) लागू कर दी है। विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय नवाचार और स्टार्ट-अप नीति (एनआईएसपी) के अनुरूप अपने छात्रों, कर्मचारियों और संकाय सदस्यों के लिए आईएसपी तैयार किया है, जिसे पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर की आईएसपी नीति अनुमोदन समिति ने विधिवत अनुमोदित किया है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

17. छात्रावास फर्नीचर क्रय देयक रु. 11,16,733.00 मात्र भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करना।

टीप : विश्वविद्यालय के छात्रावासों के लिए तखत सिंगल बेड, स्टूडेंट टेबल एवं स्टूडेंट चेयर क्रय हेतु अधीक्षक, केंद्रीय कारागार, रायपुर को क्रय आदेश क्रमांक 54/विकास/2020 रायपुर, दिनांक 07.02.2020 के द्वारा आदेशित किया गया था।

केंद्रीय कारागार द्वारा 114 नग तखत, 225 नग स्टूडेंट टेबल एवं 295 नग स्टूडेंट चेयर आपूर्ति किया गया है, तथा सामग्री आपूर्ति पश्चात् देयक क्रमांक 14 दिनांक 26.06.2021 के द्वारा रु. 11,16,733.00 (रुपए ग्यारह लाख सोलह हजार सात सौ तैंतीस मात्र) भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त राशि का भुगतान कार्यपरिषद् से अनुमोदन की प्रत्याशा में अधीक्षक, केंद्रीय कारागार, रायपुर को किए जाने की कार्यवाही की जा रही है।

अतः अधीक्षक, केंद्रीय कारागार, रायपुर को भुगतान किये जा रहे रु.11,16,733.00 (रुपए ग्यारह लाख सोलह हजार सात सौ तैंतीस मात्र) के कार्योत्तर स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

18. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।

आदेशानुसार




कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 167/अका./का.प/2021

रायपुर, दिनांक 04/10/2021

प्रतिलिपि:-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।



उप कुलसचिव (अका.)



# पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

①

क्रमांक : 2438/अका./का.प./2021

रायपुर, दिनांक 13/08/2021

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की उनसठवीं बैठक मंगलवार, दिनांक 10.08.2021 को अपराह्न 3:00 बजे कुलपति सचिवालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:-

## प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति – अध्यक्ष

- |                                    |         |                                |         |
|------------------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| 1. डॉ. शैलेंद्र सराफ               | – सदस्य | 8. डॉ. ममता शर्मा              | – सदस्य |
| 2. डॉ. कल्लोल कुमार घोष            | – सदस्य | 9. डॉ. समीर ठाकुर              | – सदस्य |
| 3. डॉ. (श्रीमती) नंदा गुरवारा      | – सदस्य | 10. श्रीमती प्रेमा गुलाब एक्का | – सदस्य |
| 4. डॉ. (श्रीमती) प्रीति के. सुरेश  | – सदस्य | 11. डॉ. एस.आर. गुप्ता          | – सदस्य |
| 5. डॉ. (श्रीमती) आभा रूपेन्द्र पाल | – सदस्य | 12. श्री गोविंद चंद्राकर       | – सदस्य |
| 6. डॉ. भजन सिंह छाबड़ा             | – सदस्य | 13. डॉ. एम.एल. नायक            | – सदस्य |
| 7. डॉ. के.एन. शर्मा                | – सदस्य |                                |         |

## डॉ. गिरीशकांत पाण्डेय, कुलसचिव – सचिव

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18.06.2021 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : संपुष्टि की गई।

2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18.06.2021 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : सूचना ग्रहण की गई।

## वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

3. विश्वविद्यालय में नवीन अंशदायी पेंशन योजना (NPS) अंगीकृत करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय, रायपुर के पत्र क्रमांक 1230/एफ 1-41/2009/वित्त/स्था./चार/2012 रायपुर, दिनांक 01.08.2012 एवं छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर के पत्र क्रमांक 809/एफ 2013-04-0000702 स्था./चार नया रायपुर दिनांक 23 जून 2016 के अनुसार नवीन अंशदायी पेंशन योजना के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया गया है। जिसके अंतर्गत दिनांक 01.11.2004 के पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों को अंशदायी पेंशन (NPS) का लाभ दिया जाना है। अतः विश्वविद्यालय में नवीन अंशदायी पेंशन योजना (NPS) अंगीकृत करने का अनुमोदन किया गया।

4. श्री के.के. चंद्राकर, पूर्व कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को निलंबन अवधि का पूर्ण भुगतान एवं सातवें वेतनमान के अंतर की राशि रु. 23,48,569/- (रुपए तेइस लाख अड़तालिस हजार पाँच सौ उनहत्तर मात्र) का भुगतान पर विचार करना।  
निर्णय : श्री के.के. चंद्राकर, पूर्व कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को निलंबन अवधि का पूर्ण भुगतान एवं सातवें वेतनमान के अंतर की राशि रु. 23,48,569/- (रुपए तेइस लाख अड़तालिस हजार पाँच सौ उनहत्तर मात्र) का भुगतान करने हेतु निम्नानुसार निर्णय लिया गया –
- (1) विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 922/स्था./स.प्रशा./2021 दिनांक 02.03.2021 के परिप्रेक्ष्य में श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को विशेष न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किए जाने के फलस्वरूप उनके निलंबन अवधि को समस्त प्रयोजनों के लिए कर्तव्य अवधि माना जाए।
- (2) विश्वविद्यालय आदेश क्र. 924/स्था./सा.प्रशा./2021 दिनांक 02.03.2021 के अनुसार श्री के.के. चंद्राकर का वेतन अंतिम रूप से निर्धारित किए जाने के फलस्वरूप वेतन के अंतर की राशि को भुगतान करने का अनुमोदन किया गया।
5. स्व. श्री अरविंद शर्मा, माइक्रोएनालिस्ट, रसायन अध्ययनशाला का 240 दिवस का अवकाश नगदीकरण स्वीकृति के संबंध में विचार करना।  
निर्णय : स्व. श्री अरविंद शर्मा, माइक्रोएनालिस्ट, रसायन अध्ययनशाला का कुल 240 दिवस अवकाश नगदीकरण की कुल राशि रुपए 8,47,962.00 (रुपए आठ लाख सैंतालिस हजार नौ सौ बासठ मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।
6. डॉ. रामानुज शर्मा, सेवानिवृत्त टेक्निकल असिस्टेंट का 234 दिवस का अवकाश नगदीकरण स्वीकृति के संबंध में विचार करना।  
निर्णय : डॉ. रामानुज शर्मा, सेवानिवृत्त टेक्निकल असिस्टेंट का कुल 234 दिवस का अवकाश नगदीकरण की कुल राशि रुपए 5,94,828.00 (रुपए पाँच लाख चौरानबे हजार आठ सौ अठाईस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।
7. डॉ. गोपाल चंद्राकर, सेवानिवृत्त तकनीकी सहायक का 240 दिवस का अवकाश नगदीकरण स्वीकृति के संबंध में विचार करना।  
निर्णय : डॉ. गोपाल चंद्राकर, सेवानिवृत्त तकनीकी सहायक को कुल 240 दिवस का अवकाश नगदीकरण की कुल राशि रुपए 5,87,462.00 (रुपए पाँच लाख सत्यासी हजार चार सौ बासठ मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।
8. श्रीमती शांति बाई, सेवानिवृत्त स्वच्छक के सी.पी.एफ. राशि स्वीकृति के संबंध में विचार करना।  
निर्णय : श्रीमती शांति बाई, सेवानिवृत्त स्वच्छक के सी.पी.एफ. की कुल राशि रुपए 6,63,716.00 (रुपए छः लाख तिरसठ हजार सात सौ सोलह मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।
9. डॉ. केशरी लाल वर्मा, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला का 225 दिवस का अवकाश नगदीकरण स्वीकृति के संबंध में विचार करना।  
निर्णय : डॉ. केशरी लाल वर्मा, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला को कुल 225 दिवस का अवकाश नगदीकरण की कुल राशि रुपए 17,79,120.00 (रुपए सत्रह लाख उन्यासी हजार एक सौ बीस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।



### गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

10. वार्षिक परीक्षा के उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन कराने हेतु अग्रिम राशि रूपए 1,80,12,615/- (रूपए एक करोड़ अस्सी लाख बारह हजार छः सौ पंद्रह मात्र) के कार्योत्तर अनुमोदन के संबंध में विचार करना।  
निर्णय : वार्षिक परीक्षा के उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन कराने हेतु महाविद्यालयों को जारी अग्रिम राशि रूपए 1,80,12,615/- (रूपए एक करोड़ अस्सी लाख बारह हजार छः सौ पंद्रह मात्र) के कार्योत्तर भुगतान का अनुमोदन किया गया।

### यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

11. विश्वविद्यालय के विभिन्न 15 भवनों के बाह्य पोताई के संबंध में विचार करना।  
निर्णय : विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के 15 भवनों की बाह्य पोताई हेतु कुल प्राक्कलन राशि रु. 48,08,351/- (रूपए अड़तालीस लाख आठ हजार तीन सौ इक्कावन मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई। लोक निर्माण विभाग के (S.O.R. Effective from 1 Jan. 2015) के आधार पर निविदा आमंत्रित किए जाने हेतु अनुमति प्रदान की गई।
12. विश्वविद्यालय के विभिन्न 12 भवनों के बाह्य पोताई के संबंध में विचार करना।  
निर्णय : विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के 12 भवनों की बाह्य पोताई हेतु कुल प्राक्कलन राशि रु. 71,63,227/- (रूपए इकहत्तर लाख तिरसठ हजार दो सौ सत्ताइस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई। लोक निर्माण विभाग के (S.O.R. Effective from 1 Jan. 2015) के आधार पर निविदा आमंत्रित किए जाने हेतु अनुमति प्रदान की गई।
13. विश्वविद्यालय में विभिन्न निर्माण कार्यो हेतु वास्तुविद् (Architect) चयन संबंधी प्रकरण पर विचार करना।  
निर्णय : भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 31.03.2021 के निर्णयानुसार फर्म, Bharti & Associates Raipur के चयन का अनुमोदन निम्नलिखित तीन कार्यो हेतु किया गया है—  
1. Integrated examination hall  
2. Furniture layout of Exam Section hall  
3. Staff Quarter (University campus)
14. विश्वविद्यालय परिसर में स्थित उद्यानों के वार्षिक रख-रखाव वर्ष 2021-'22 का सहायक संचालक उद्यानिकी विभाग को राशि रूपए 15,39,215/- (रूपए पंद्रह लाख उंतालिस हजार दो सौ पंद्रह मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में विचार करना।  
निर्णय : विश्वविद्यालय परिसर में स्थित उद्यानों के वार्षिक रख-रखाव वर्ष 2021-'22 का सहायक संचालक, उद्यानिकी विभाग की ओर से प्राप्त प्राक्कलन राशि रूपए 30,78,430/- (रूपए तीस लाख अठहत्तर हजार चार सौ तीस मात्र) की 50% राशि रूपए 15,39,215/- (रूपए पंद्रह लाख उंतालिस हजार दो सौ पंद्रह मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
15. विश्वविद्यालय परिसर में 100 नग Street Light Pole लगाने एवं उनमें L.E.D. Street Light Fitting लगाने हेतु रूपए 24,50,000/- (रूपए चौबीस लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में विचार करना।  
निर्णय : विश्वविद्यालय परिसर में 100 नग Street Light Pole लगाने एवं उनमें L.E.D. Street Light Fitting हेतु न्यूनतम निविदा दर 30 % Below S.o.R. वाली फर्म मेसर्स, D.M. Jha, Raipur को कार्य आदेश देकर अनुबंध किए जाने एवं कार्य पर लागत राशि रूपए 24,50,000/- (रूपए चौबीस लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

### इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फोटोनिक्स अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

16. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फोटोनिक्स अध्ययनशाला हेतु निर्माता कंपनी से Quantum efficiency and I-V measurement system उपकरण क्रय हेतु राशि रु. 14,48,304/- (रुपए चौदह लाख अड़तालिस हजार तीन सौ चार मात्र) के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फोटोनिक्स अध्ययनशाला द्वारा हेतु Quantum efficiency and I-V measurement system (Model No. H0-SLQEIV) Sole निर्माता कंपनी मेसर्स Homarc Opto Mechatronics Pvt. Ltd., Kochi से उपकरण क्रय किए जाने एवं Lab Equipment & Repair मद से सत्र 2021-'22 हेतु प्रावधानित राशि रुपए 15.20 लाख से कुल लागत राशि 14,48,304/- (रुपए चौदह लाख अड़तालिस हजार तीन सौ चार मात्र) व्यय का अनुमोदन किया गया।

### बायोटेक्नोलॉजी से प्राप्त प्रस्ताव :-

17. विश्वविद्यालय परिसर में Technology Business Incubator की स्थापना हेतु राशि रुपए 68,19,160.00 (रुपए अड़सठ लाख उन्नीस हजार एक सौ साठ मात्र) के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय परिसर में Technology Business Incubator की स्थापना के लिए Department of Science & Technology, New Delhi को iTBI-NIDHI योजना के अंतर्गत परियोजना प्रस्तावित है जिसकी कुल लागत रुपए 5,51,91,200.00 (रुपए पाँच करोड़ इंक्यावन लाख इंक्यानबे हजार दो सौ मात्र) है, जिसमें से विश्वविद्यालय प्रशासनिक व्यय की राशि रुपए 68,19,160.00 (रुपए अड़सठ लाख उन्नीस हजार एक सौ साठ मात्र) का निम्नानुसार अनुमोदन किया गया -

Heads	Year-1 (Rs)	Year-II (Rs)	Year-III (Rs)	Total (Rs)
Non-Recurring	23,00,000.00	15,00,000.00	Nil	38,00,000.00
Recurring	Nil	11,74,400.00	18,44,760.00	30,19,160.00
<b>Total (Rs)</b>	<b>23,00,000.00</b>	<b>26,74,400.00</b>	<b>18,44,760.00</b>	<b>68,19,160.00</b>
<i>Rupees Sixty Eight Lakh Ninteen Thousand One Hundred and Sixty Only</i>				

18. विश्वविद्यालय परिसर में BioNEST Bioincubator की स्थापना हेतु राशि रुपए 48,00,000.00 (रुपए अड़तालीस लाख मात्र) के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय परिसर में BioNEST Bioincubator की स्थापना के लिए Department of Biotechnology, New Delhi को BioNEST योजना के अंतर्गत परियोजना प्रस्तावित है, जिसकी कुल लागत रुपए 9,31,01,000.00 (रुपए नौ करोड़ इकत्तीस लाख एक हजार मात्र) है, जिसमें से विश्वविद्यालय से प्रशासनिक व्यय की राशि रुपए 48,00,000.00 (रुपए अड़तालीस लाख मात्र) का निम्नानुसार अनुमोदन किया गया -

Heads	Year-1 (Lakh Rs)	Year-II (Lakh Rs)	Year-III (Lakh Rs)	Total (Lakh Rs)
Maintenance/ Repair of Instruments	5.00	5.00	5.00	15.00
Administrative Operation	2.00	2.00	2.00	06.00
Travel	2.00	2.00	2.00	06.00
Consumables & Chemicals	5.00	5.00	5.00	15.00
Training Programs, etc.	2.00	2.00	2.00	06.00
			<b>Total</b>	<b>48.00</b>
<i>Rupees Forty Eight Lakh Only</i>				

## शारीरिक शिक्षा विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

19. क्रीड़ा समिति की बैठक दिनांक 14.08.2019 के कार्यवृत्त का अनुमोदन पर विचार करना।  
निर्णय : क्रीड़ा समिति की बैठक दिनांक 14.08.2019 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

3

## पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय विद्या-परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 07.08.2021 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।  
निर्णय : विश्वविद्यालय विद्या-परिषद के स्थाई समिति की बैठक दिनांक 07.08.2021 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

## वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. विश्वविद्यालय के देहावसान एवं अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने वाले कर्मचारियों का सी.पी.एफ. की राशि रूपए 62,89,668.00 (रूपए बासठ लाख नवासी हजार छः सौ अड़सठ मात्र) के अंतिम भुगतान के संबंध में विचार करना।  
निर्णय : विश्वविद्यालय के देहावसान एवं अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने वाले कर्मचारियों का सी.पी.एफ. राशि रूपए 62,89,668.00 (रूपए बासठ लाख नवासी हजार छः सौ अड़सठ मात्र) के अंतिम भुगतान निम्नानुसार किए जाने का अनुमोदन किया गया -

क्र.	नाम/पद नाम	सेवानिवृत्त/ देहावसान दिनांक	अधिवार्षिकी/ देहावसान	सी.पी.एफ. राशि का अंतिम भुगतान
1.	श्री नरेन्द्र कुमार यादव	31.03.2021	अधिवार्षिकी	2,60,330.00
2.	स्व. श्री प्रफुल्ल कुमार शुक्ला	10.04.2021	देहावसान	11,68,659.00
3.	स्व. श्री टामकर प्रसाद जोशी	14.04.2021	देहावसान	6,78,691.00
4.	स्व. श्री जनक दास मानिकपुरी	22.04.2021	देहावसान	7,76,678.00
5.	श्री गोराचंद बघेल	30.04.2021	अधिवार्षिकी	2,73,026.00
6.	स्व. श्री अरविंद कुमार शर्मा	25.05.2021	देहावसान	17,98,838.00
7.	श्री किशोर कुमार रावत	31.05.2021	अधिवार्षिकी	5,24,807.00
8.	श्री कुबेर	07.06.2021	स्वैच्छिक से.नि.	1,81,976.00
9.	श्री नेतराम निषाद	30.06.2021	अधिवार्षिकी	6,26,663.00
			योग-	62,89,668.00

(रूपए बासठ लाख नवासी हजार छः सौ अड़सठ मात्र)

3. डॉ. केशरी लाल वर्मा, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला की सी.पी.एफ. की कुल राशि रूपए 20,52,454.00 (रूपए बीस लाख बावन हजार चार सौ चौवन मात्र) के अंतिम भुगतान के संबंध में विचार करना।  
निर्णय : डॉ. केशरी लाल वर्मा, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला की सी.पी.एफ. की कुल राशि रूपए 20,52,454.00 (रूपए बीस लाख बावन हजार चार सौ चौवन मात्र) के अंतिम भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

4. डॉ. श्रीमती मोयना चक्रवर्ती, प्रोफेसर, मानव विज्ञान अध्ययनशाला की सी.पी.एफ. राशि रूप 22,61,745.00 (रुपए बाईस लाख इकसठ हजार सात सौ पैतालीस मात्र) के अंतिम भुगतान के संबंध में विचार करना।

निर्णय : डॉ. श्रीमती मोयना चक्रवर्ती, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, मानव विज्ञान अध्ययनशाला की सी.पी.एफ. की कुल राशि रूप 22,61,745.00 (रुपए बाईस लाख इकसठ हजार सात सौ पैतालीस मात्र) के अंतिम भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

5. श्री रूपचंद साहू, सेवानिवृत्त प्रथम श्रेणी लिपिक की सी.पी.एफ. राशि रूप 20,08,293.00 (रुपए बीस लाख आठ हजार दो सौ तिरानबे मात्र) के अंतिम भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करना।

निर्णय : श्री रूपचंद साहू, सेवानिवृत्त प्रथम श्रेणी लिपिक के सी.पी.एफ. की कुल राशि रूप 20,08,293.00 (रुपए बीस लाख आठ हजार दो सौ तिरानबे मात्र) के अंतिम भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

6. विश्वविद्यालय के देहावसान तथा अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने वाले कर्मचारियों के अवकाश नगदीकरण की राशि रूप 42,06,859.00 (रुपए बयालिस लाख छः हजार आठ सौ उनसठ मात्र) के भुगतान की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय के देहावसान तथा अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने वाले कर्मचारियों के अवकाश नगदीकरण की राशि रूप 42,06,859.00 (रुपए बयालिस लाख छः हजार आठ सौ उनसठ मात्र) के निम्नानुसार भुगतान की सूचना ग्रहण की गई :-

स.क्र.	सेवानिवृत्ति तिथि	शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारियों का नाम	अवकाश नगदीकरण दिन	राशि
1	08.06.2021	स्व. श्री बंशी टेकाम (देहावसान)	240	2,55,422.00
2	30.06.2021	श्री नेतराम निषाद	217	2,31,496.00
3	30.06.2021	स्व. श्री जनक दास मानिकपुरी (देहावसान)	240	1,86,334.00
4	30.06.2021	स्व. श्री प्रफुल्ल कुमार शुक्ला (देहावसान)	240	3,65,963.00
9	30.06.2021	स्व. श्री टामकर प्रसाद जोशी (देहावसान)	240	3,70,230.00
5	06.07.2020	श्री सुरेश यादव	240	5,73,216.00
6	19.07.2021	श्री रूपचंद साहू	219	3,24,243.00
7	22.07.2021	श्री किशोर रावत	212	2,49,210.00
8	27.07.2021	श्री ठाकुर राम धुव	218	2,67,076.00
10	27.07.2021	श्री संतोष गोंड	211	3,72,749.00
11	28.07.2021	श्री गोराचंद बघेल	233	3,77,136.00
12	28.08.2020	श्री राकेश कुमार शुक्ला	204	2,95,004.00
13	02.09.2020	श्रीमती मैना बाई	195	1,80,947.00
14	02.09.2020	श्री नंद कुमार	195	1,57,833.00
			योग-	42,06,859.00

(रुपए बयालिस लाख छः हजार आठ सौ उनसठ मात्र)

#### अकादमिक विभाग से संबंधित प्रस्ताव

7. अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर को वाणिज्य विषय में शोध-केंद्र की मान्यता प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : वाणिज्य विषय की शोध उपाधि समिति (RDC) की बैठक दिनांक 06.08.2021 के निर्णयानुसार अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर को वाणिज्य विषय में शोध-केंद्र की मान्यता आगामी 3 वर्ष के लिए अस्थाई रूप से प्रदान किए जाने की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

### गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

8. वर्ष 2020-21 के विश्वविद्यालय के विभिन्न परीक्षाओं के गोपनीय मुद्रण हेतु राशि रूपए 14,51,473.00 (रुपए चौदह लाख इक्यावन हजार चार सौ तिहत्तर मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।  
निर्णय : वर्ष 2020-21 के विश्वविद्यालय के विभिन्न परीक्षाओं के गोपनीय मुद्रण हेतु राशि रूपए 14,51,473.00 (रुपए चौदह लाख इक्यावन हजार चार सौ तिहत्तर मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

9. पी-एच.डी. उपाधि के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।  
निर्णय : विभिन्न संकायों में पी-एच.डी. उपाधि हेतु दिनांक 22.03.2021 से 07.08.2021 (अधिसूचना क्रमांक 3475 से 3498 तक) कुल 24 शोधार्थियों को जारी की गई पी-एच.डी. उपाधि का अनुमोदन किया गया :-

कला संकाय	- हिंदी-02, ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान-02, संस्कृत 01, भाषाविज्ञान-01
सामाजिक विज्ञान संकाय	- समाजशास्त्र-01, इतिहास-02, मनोविज्ञान-01, राजनीति विज्ञान-01, अर्थशास्त्र-02, प्रा.भा.इतिहास-01, क्षेत्रीय अध्ययन (हिंदी)-01
वाणिज्य संकाय	- वाणिज्य-01
शिक्षा संकाय	- शिक्षा-04
विज्ञान संकाय	- भूविज्ञान-01, भौतिकी-01, रसायन शास्त्र-01
जीव विज्ञान संकाय	- वनस्पति शास्त्र-01

### IQAC से प्राप्त प्रस्ताव :-

10. आई.क्यू.ए.सी. समिति की बैठक दिनांक 19.07.2021 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।  
निर्णय : आई.क्यू.ए.सी. समिति की बैठक दिनांक 19.07.2021 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

### ग्रंथालय से प्राप्त प्रस्ताव :-

11. पुस्तकों (Print) के क्रयार्थ प्राप्त दर के अनुमोदन पर विचार करना।  
निर्णय : पुस्तकों (Print) के क्रयार्थ विभागीय क्रय समिति एवं केंद्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा का निम्नानुसार अनुमोदन किया गया :-  
विभागीय क्रय समिति :-

पुस्तकों के वास्तविक मूल्य पर Indian Publications के लिए अधिकतम छूट 36.56% अर्थात् क्रयार्थ न्यूनतम दर के आधार पर अरविंद प्रकाशन, उदयपुर से एवं Foreign Publications के लिए अधिकतम छूट 41.06% अर्थात् क्रयार्थ न्यूनतम दर के आधार पर अरविंद प्रकाशन, उदयपुर से क्रय करने की विभागीय क्रय समिति की अनुशंसा।

### केंद्रीय क्रय समिति :-

केंद्रीय क्रय समिति ने दिनांक 30.07.2021 को विभागीय क्रय समिति की अनुशंसानुसार उपरोक्त छूट (Discount) दरों पर भारतीय प्रकाशन एवं विदेशी प्रकाशन की पुस्तकें, अरविंद प्रकाशन, उदयपुर से क्रय की अनुशंसा।  
पुस्तकों (Print) के क्रयार्थ अनुमोदित दर फर्म से अनुबंध तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होंगे।

### विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

12. उपाधि प्रोफार्मा मुद्रण देयक राशि रूपए 13,45,200.00 (रुपए तेरह लाख पैतालिस हजार दो सौ मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।  
निर्णय : ऑफसेट प्रिंटिंग हाऊस, चाणक्यपुरी कॉलोनी, सतना (म.प्र.) को उपाधि प्रोफार्मा मुद्रण देयक राशि रूपए 13,45,200.00 (रुपए तेरह लाख पैतालिस हजार दो सौ मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

## अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

8

### यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

1. विश्वविद्यालय में निम्नलिखित भवनों में उद्यान विकसित करने हेतु सहायक संचालक, उद्यान प्रमुख, रायपुर (छ.ग.) प्राप्त प्राक्कलन राशि की स्वीकृति प्रदान करने पर विचार करना—
  - (1) प्रशासनिक भवन के पास खाली जगह में अलंकृत उद्यान विकसित करने प्राक्कलन राशि रु. 12,48,795/— (रुपए बारह लाख अड़तालिस हजार सात सौ पंचानबे मात्र)
  - (2) फार्मसी संस्थान में मेडिशनल अलंकृत उद्यान विकसित करने प्राक्कलन राशि रु. 9,54,968/— (रुपए नौ लाख चौवन हजार नौ सौ अड़सठ मात्र)
  - (3) पं. सुंदर लाल शर्मा ग्रंथागार परिसर में उद्यान विकसित करने सहायक संचालक, उद्यानिकी से प्राप्त प्राक्कलन राशि रु. 4,97,896/— (रुपए चार लाख संतानबे हजार आठ सौ छियानबे मात्र)

निर्णय: विश्वविद्यालय परिसर में उद्यान विकसित करने हेतु प्राक्कलन राशि क्रमशः (1) रु. 12,48,795/— (रुपए बारह लाख अड़तालिस हजार सात सौ पंचानबे मात्र) (2) रु. 9,54,968/— (रुपए नौ लाख चौवन हजार नौ सौ अड़सठ मात्र) (3) रु. 4,97,896/— (रुपए चार लाख संतानबे हजार आठ सौ छियानबे मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गई। कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत कराने तीनों कार्यों की 50% राशि का भुगतान सहायक संचालक, उद्यान, प्रमुख उद्यान, रायपुर (छ.ग.) के पक्ष में किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। Pharmacy Medicinal Plant Garden के प्राक्कलन की राशि फार्मसी संस्थान के बजट से व्यय किए जाने का अनुमोदन किया गया।

### भू-विज्ञान अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. भू-विज्ञान अध्ययनशाला में जेमोलाजी का डिप्लोमा का नया पाठ्यक्रम प्रारंभ करने पर विचार करना।
- निर्णय: भू-विज्ञान अध्ययनशाला में अध्यादेश क्रमांक-188 के अंतर्गत Diploma in Gem Identification & Grading नया पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का अनुमोदन किया गया।

### क्षेत्रीय अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

3. क्षेत्रीय अध्ययनशाला में शिक्षा सत्र 2021-'22 से नए पाठ्यक्रम (1) सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइवलीहुड प्लानिंग एंड सप्लाय चैन मैनेजमेंट, (2) सर्टिफिकेट कोर्स इन डीसेंट्रेलाइज प्लानिंग के प्रारंभ करने पर विचार करना।
- निर्णय: क्षेत्रीय अध्ययनशाला में शिक्षा सत्र 2021-'22 से नए पाठ्यक्रम— (1) – सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइवलीहुड प्लानिंग एंड सप्लाय चैन मैनेजमेंट, (2) सर्टिफिकेट कोर्स इन डीसेंट्रेलाइज प्लानिंग प्रारंभ करने का अनुमोदन किया गया।


अध्यक्ष एवं सभी उपस्थित सम्माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।

  
कुलपति  
अध्यक्ष

  
कुलसचिव  
सचिव

## प्रतिलिपि :-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
4. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
6. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
7. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
8. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
 उप कुलसचिव (अका.)



# पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

10

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव). E-mail ID- academicprsu2@gmail.com


क्रमांक : 7 / अका. / 2021

रायपुर, दिनांक : 16 / 09 / 2021

## ॥ अधिसूचना ॥

अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में संचालित सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम (अर्थमिति एवं गणितीय अर्थशास्त्र) की फीस सत्र 2021-22 से रुपए 5000/- (रुपए पाँच हजार मात्र) के स्थान पर रुपए 2500/- (रुपए दो हजार पाँच सौ मात्र) किया जाता है।

आदेशानुसार,


  
16.9.21  
कुलसचिव

पृ.क्रमांक : 8 / अका. / 2021

रायपुर, दिनांक : 16 / 09 / 2021

प्रतिलिपि :-

1. अध्यक्ष, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला,
2. उप कुलसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग,
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,  
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
उप कुलसचिव (अका.)



छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त एवं योजना विभाग,  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 342/एफ 2013-17/00004/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 8 अगस्त, 2013  
प्रति,

शासन के समस्त विभाग  
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर  
समस्त विभागाध्यक्ष  
समस्त संभागीय आयुक्त  
समस्त जिलाध्यक्ष,  
छत्तीसगढ़ ।

विषय:-छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) अधिनियम, 2013  
चिकित्सकों की अधिवार्षिकी आयु में वृद्धि ।

राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1988 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा पद पर नियुक्त छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा के सदस्य, छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1987 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा पद पर नियुक्त छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (राजपत्रित) सेवा के सदस्य, छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1987 की अनुसूची-एक में उल्लिखित सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी, अध्यापन चिकित्सालय के सहायक अधीक्षक तथा दंत शल्य चिकित्सक पद पर नियुक्त छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा के सदस्य तथा छत्तीसगढ़ कर्मचारी राज्य बीमा सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम, 1981 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा पद पर नियुक्त छत्तीसगढ़ कर्मचारी राज्य बीमा (राजपत्रित) सेवा के सदस्य जिनकी वर्तमान में अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष / 62 वर्ष है में वृद्धि कर दिनांक 1.4.2013 से 65 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है ।

2. तदनुसार छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 25 सन् 2013) द्वारा मूल नियम 56 में आवश्यक संशोधन किया गया है । यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 05.08.2013 में प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है । छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) अधिनियम, 2013 दिनांक 1.4.2013 से प्रभावशील होगा । इस प्रकार माह अप्रैल 2013 में 60 वर्ष / 62 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने वाले शासकीय सेवकों को भी इस आदेश का लाभ मिलेगा ।

3. ऐसे चिकित्सक जो दिनांक 1.4.2013 और इस अधिनियम के प्रकाशन की तारीख के बीच पूर्व नियमों के अंतर्गत अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनकी आगामी

कर्तव्य अवधि उनके शासकीय सेवा में पुनः कार्यग्रहण करने की तिथि से गिनी जावगी । ऐसे चिकित्सक दिनांक 30.09.2013 तक अनिवार्य रूप से कार्य पर उपस्थित हों अन्यथा यह माना जायेगा कि वे पुनः शासकीय सेवा में लौटने के इच्छुक नहीं हैं । ऐसे चिकित्सक जो अभी तक पुनः कार्य पर उपस्थित नहीं हुये हैं के मामले में उनके पूर्व कार्यालय प्रमुख द्वारा शासन के इस निर्णय से उनको तत्काल लिखित में अवगत कराया जाना आवश्यक होगा तथा इसकी सूचना विभागाध्यक्ष को भी दी जावेगी । समस्त लौटाये जाने वाले स्वत्वों के शासकीय खजाने में जमा करने के बाद ही पुनः कार्यग्रहण की पात्रता होगी । उनकी सेवानिवृत्ति एवं पुनः कार्यग्रहण की अवधि के बीच के व्यवधान का निराकरण तथा सेवानिवृत्ति पर भुगतान किये गये स्वत्वों एवं नवीन पदस्थापना का निराकरण निम्नानुसार किया जाएगा:-

1. सेवानिवृत्ति की तिथि तथा पुनः कार्यग्रहण की तिथि तक की व्यवधान अवधि के निराकरण हेतु शासकीय सेवक के निवेदन पर सेवानिवृत्ति की तिथि पर उसके खाते में जमा अवकाश अथवा अन्य अवकाश न होने पर असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा ।
2. शासकीय सेवक के सेवानिवृत्ति पश्चात यदि पेंशन/उपदान अथवा पूर्वानुमानित पेंशन/उपदान का भुगतान कर दिया गया हो तो ऐसे भुगतान की संपूर्ण राशि एकमुश्त में पेंशन मद (मुख्य शीर्ष 0071) में जमा करते हुए कोषालय अधिकारी से प्रमाणित चालान की प्रति प्राप्त कर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।
3. यदि अवकाश नगदीकरण की राशि का भुगतान कर दिया गया है तो कार्यग्रहण के पूर्व भुगतान की गई संपूर्ण राशि एकमुश्त में शासकीय खजाने में वापस जमा करना आवश्यक होगा तथा उक्त अवकाश को अवकाश खाते में पुनः जमा दिखाया जायेगा ।
4. शासकीय सेवक जो सेवानिवृत्ति के समय समूह बीमा योजना के सदस्य थे, को यदि समूह बीमा योजना के बचत निधि में जमा राशि का भुगतान कर दिया गया हो तो पुनः कार्यग्रहण के पूर्व भुगतान की गई संपूर्ण राशि व्यवधान अवधि के अंशदान सहित मुख्य शीर्ष 8011 समूह बीमा योजना में जमा करना होगा तथा योजना यथावत् लागू रहेगी । किन्तु ऐसे व्यक्तियों की परिवार कल्याण निधि में जमा राशि का यदि भुगतान कर दिया गया हो तो उसे वापस जमा करने की आवश्यकता नहीं है ।
5. ऐसे व्यक्ति जो सेवानिवृत्ति के समय परिवार कल्याण निधि योजना के सदस्य थे तथा उन्हें नियमानुसार योजना की राशि का भुगतान कर दिया गया है तो भुगतान की गई संपूर्ण राशि संबंधित शीर्ष 8342 परिवार कल्याण निधि में वापस जमा करना होगा तथा योजना यथावत् लागू रहेगी ।
6. शासकीय सेवक द्वारा यदि सेवानिवृत्ति पर गृह नगर जाने हेतु यात्रा भत्ते का भुगतान प्राप्त कर लिया गया है तो उक्त राशि उसके द्वारा शासकीय कोष में वापस जमा किया जायेगा किन्तु यदि वह राशि वापस जमा नहीं करना चाहता है तो उससे इस बाबत एक लिखित घोषणा पत्र लिया जायेगा कि उसे सेवानिवृत्ति पर या सेवा अवधि में उसकी मृत्यु होने पर परिवार को गृह नगर की यात्रा हेतु यात्रा भत्ते की

पात्रता नहीं होगी। यह घोषणा पत्र उसकी व्यक्तिगत नस्ती में रखा जायेगा तथा इसकी प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में भी की जायेगी।

7. यदि सेवानिवृत्ति पर शासकीय सेवक के सामान्य भविष्य निधि की राशि का अंतिम भुगतान कर दिया गया है तो उसे भुगतान की गई समग्र राशि एकमुश्त शासन के लोक लेखा में शीर्ष 8009 में वापस जमा करना होगा तथा महालेखाकार को उक्त शासकीय सेवक के सामान्य भविष्य निधि खाते को पुनः चालू करने हेतु निवेदन करना होगा।


8. सामान्यतः शासकीय सेवक को वह जिस पद से सेवानिवृत्त हुआ है उसी पद पर कार्यग्रहण करना होगा किन्तु यदि वह पद रिक्त न हो तो किसी भी समान रिक्त पद पर उसे पदस्थापित किया जायेगा।

9. यदि शासकीय सेवक के सेवानिवृत्ति से संवर्ग में रिक्त हुए पद पर किसी अन्य शासकीय सेवक को सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति से नियुक्त किया गया हो तथा संवर्ग में कोई समान पद रिक्त न हो तो उस पद पर कार्यरत व्यक्ति को हटाया नहीं जायेगा वरन् सेवानिवृत्त व्यक्ति के लिए संवर्ग में एक सांख्येतर पद निर्मित किया जाकर उसे उस पद पर पदस्थापित किया जायेगा तथा संवर्ग में कोई भी समान पद रिक्त होने पर उसे उस पद के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।

4. ऐसे शासकीय सेवक जो इस आदेश के लागू होने की तिथि अर्थात् 1.4.2013 पर सेवावृद्धि, पुनःनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति पर हैं उनके मामलों में यह आदेश लागू नहीं होगा, क्योंकि वे इस संशोधन के पूर्व विद्यमान नियमों/निर्देशों के अंतर्गत अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर चुके हैं।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार



(एस.के.चक्रवर्ती)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्र. 343/एफ 2013-17-00004/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 8 अगस्त, 2013

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
  2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय ।
  3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर ।
  4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय बोदरी, पोस्ट ऑफिस-हाई कोर्ट ब्रांच, बिलासपुर (छ0ग0) पिन कोड-495220 ।
  5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर ।
  6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नया रायपुर ।
  7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
  8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, नया रायपुर ।
  9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, नया रायपुर ।
  10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर ।
  11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली ।
  12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर ।
  13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
  14. आयुक्त, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
  15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर ।
  16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ ।
  17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़ ।
  18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ।
  19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर ।
  20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
  21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर की ओर वित्त विभाग की वेबसाइट [www.cgfinance.nic.in](http://www.cgfinance.nic.in) में अपलोड करने हेतु ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रहित ।



(राजेश कुमार श्रीवास्तव)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग



# पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

## विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की साठवीं बैठक मंगलवार दिनांक 12.10.2021 को अपराह्न 3.00 बजे की पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की बैठक दिनांक 07.10.2021 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।  
(पृ.क्र. 01 से 11 तक)  
टीप: कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

### वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्रमांक एफ 5-1/2021/38-2 दिनांक 06.10.2021 एवं आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय से प्राप्त पत्र क्रमांक 445/159/आउशि/वि.वि.अनु./2021 दिनांक 06.10.2021 के द्वारा विश्वविद्यालयीन गैर शैक्षणिक अधिकारियों/कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम-2017 का लाभ दिए जाने की सहमति प्रदान की गई है। कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदन हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।  
टीप : कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18.09.2018 के मद क्रमांक 4 के निर्णयानुसार पुनरीक्षित (सातवाँ वेतनमान) भुगतान की स्वीकृति हेतु क्रमांक 3935/सा.प्रशा./18, दिनांक 12.11.2018 के द्वारा पत्र प्रेषित किया गया था।

### अकादमिक विभाग से संबंधित प्रस्ताव

3. शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर को इंफर्मेसन टेक्नोलॉजी विषय में शोध-केंद्र की मान्यता प्रदान करने के संबंध में विचार करना।  
टीप : इंफर्मेसन टेक्नोलॉजी विषय की शोध उपाधि समिति (RDC) की बैठक दिनांक 24.08.2021 के निर्णयानुसार शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर को इंफर्मेसन टेक्नोलॉजी विषय में शोध-केंद्र की मान्यता अस्थायी रूप से प्रदान किए जाने की अनुशंसा की गई है। (बैठक के कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न) संशोधित विनियम क्रमांक-107 की कंडिका-08 के प्रावधानानुसार प्रकरण माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

### यांत्रिकी विभाग से संबंधित प्रस्ताव

4. विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के सामने वाहन शेड निर्माण हेतु प्राक्कलन राशि रूपए 12,54,274/- (रूपए बारह लाख चवन हजार दो सौ चौहत्तर मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध में विचार करना।  
टीप : विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के सामने वाहन शेड निर्माण हेतु यांत्रिकी शाखा द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रूपए 12,54,274/- (रूपए बारह लाख चवन हजार दो सौ चौहत्तर मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति एवं निविदा आमंत्रण किए जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

5. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।

कुलसचिव



# पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक: 189 / अका. / वि.परि. / 2021

रायपुर, दिनांक : 08 / 10 / 2021

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक गुरुवार, दिनांक 07.10.2021 को अपराह्न 3:00 बजे प्रशासनिक भवन के कुलपति सचिवालय के बैठक कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए :

1. प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति	—	अध्यक्ष
2. डॉ. भगवंत सिंह	—	सदस्य
3. डॉ. सी.डी. अगासे	—	सदस्य
4. डॉ. (श्रीमती) प्रियंवदा श्रीवास्तव	—	सदस्य
5. डॉ. मधुलिका अग्रवाल	—	सदस्य
6. डॉ. एस.के. प्रसाद	—	सदस्य
7. डॉ. (श्रीमती) प्रीति के. सुरेश	—	सदस्य
8. डॉ. संजय कुमार	—	सदस्य
9. डॉ. ए.के. गुप्ता	—	सदस्य
10. प्रो. पी.सी. चौधरी	—	सदस्य
11. डॉ. (श्रीमती) माया वर्मा	—	सदस्य
12. डॉ. मीना पाठक	—	सदस्य
13. डॉ. एस.एस. दीवान	—	सदस्य
14. डॉ. रोहिणी प्रसाद	—	सदस्य
15. डॉ. प्रभावती शुक्ला	—	सदस्य
16. डॉ. बशीर हसन	—	सदस्य
17. डॉ. दुर्गा प्रसाद बिसेन	—	सदस्य
18. डॉ. शम्स परवेज	—	सदस्य
19. डॉ. अनुसईया बघेल	—	सदस्य
20. डॉ. कविता ठाकुर	—	सदस्य
21. डॉ. के.आर. हरि	—	सदस्य
22. डॉ. बी.एस. ठाकुर	—	सदस्य
23. डॉ. (श्रीमति) एस. चक्रवती	—	सदस्य
24. डॉ. (श्रीमती) पारमिता दुबे	—	सदस्य
25. डॉ. अशोक प्रधान	—	सदस्य
26. डॉ. साधना जयसावल	—	सदस्य
27. डॉ. एस.के. जाधव	—	सदस्य
28. डा. शैलेन्द्र सराफ	—	सदस्य
29. डॉ. (श्रीमती) विनीता अग्रवाल	—	सदस्य
30. डॉ. (श्रीमति) रीता वेणुगोपाल	—	सदस्य
31. डॉ. राजेश अग्रवाल	—	सदस्य
32. डॉ. निनाद बोधनकर	—	सदस्य
33. डॉ. उमा गोले	—	सदस्य
34. डॉ. (श्रीमति) मीता झा	—	सदस्य
35. डॉ. एल.एस. गजपाल	—	सदस्य

36. डॉ. केशवकांत साहू	—	सदस्य
37. डॉ. स्वर्णलता सराफ	—	सदस्य
38. डॉ. कल्लोल कुमार घोष	—	सदस्य
39. डॉ. प्रीति तिवारी	—	सदस्य
40. डॉ. कुंज बिहारी शर्मा	—	सदस्य
41. डॉ. आर. के. दुबे	—	सदस्य
42. डॉ. तपेश चन्द्र गुप्ता	—	सदस्य
43. डॉ. निस्तार कुजुर	—	सदस्य
44. डॉ. गिरीश कांत पाण्डेय, कुलसचिव	—	सचिव

**कार्यवृत्त :**

- विद्यापरिषद् की बैठक, दिनांक 09.03.2021 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना।  
निर्णय: संपुष्टि की गई।
- विद्यापरिषद् की बैठक, दिनांक 09.03.2021 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।  
निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।
- विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 17.06.2021 एवं 07.08.2021 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना।  
निर्णय : अनुमोदन किया गया।
- निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र-संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी संबद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
(i)	शहीद राजीव पाण्डेय शास. महाविद्यालय, भाटागांव, रायपुर	B.A.-II- Sociology	40	2021-22
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी संबद्धता दिए जाने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
(ii)	शास. नारायण राव मेघावाले कन्या महा. धमतरी	M.A.-III & IV Semester Political Science	20	2021-22
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी संबद्धता दिए जाने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
(iii)	चंद्रपाल उडसेना शासकीय महावि. पिथौरा, जिला-महासमुंद	M.A.- III/IV Semester Political Sc.	20	2021-22
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी संबद्धता दिए जाने की अनुशंसा की गई।				

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
(v)	शास. महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महा. महासमुंद	M.Sc.-III/IV Sem. Zoology	20	2021-22
		M.Sc.-III/IV Sem. Physics	20	
		B.A.-II- Geography	40	
		B.Com.-II Computer Application	40	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी संबद्धता दिए जाने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
(iv)	यशवंत राव मेघावले शासकीय महाविद्यालय, मगरलोड, जिला-धमतरी	B.Sc.-II- Maths	40	2021-22
		Physics	40	
		B.A.-II- Hindi Litt.	40	
		M.A.-III/IV Sem. Sociology	20	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी संबद्धता दिए जाने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
(vi)	शास. वीर सुरेंद्र साय स्नातकोत्तर महा. गरियाबंद	B.Sc. -II Biotechnology	40	2021-22
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी संबद्धता दिए जाने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
(vii)	सत्यनारायण अग्रवाल शास. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, कोहका-नेवरा, जिला-रायपुर	M.A.-I & II Sem. Sociology	20	2020-21
		M.A. I & II Sem. Political Sc.	20	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी संबद्धता दिए जाने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
(viii)	शास. माता कर्मा कन्या महावि. महासमुंद,	M.A.-III & IV Sem. Geography	20	2021-22
		B.Sc.-II- Zoology	40	
		M.Sc. III & IV Sem. Microbiology	20	
		B.A.-II Hindi Lit.	40	
		B.A.-II English Lit.	40	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी संबद्धता दिए जाने की अनुशंसा की गई।				



क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
(viii)	शासकीय नवीन महाविद्यालय, मोपका--निपनिया, जिला--बलौदाबाजार --भाटापारा	B.A.-III- (F.C.-Hindi, English), Political Science, Hindi Litt., Sociology, Geography	90	2021-22
		B.Sc.-III- Maths Group- Chemistry, Maths, Physics	90	
		B.Com.-III- All Compulsory Subject	90	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी संबद्धता दिए जाने की अनुशंसा की गई।				

5. शासकीय नवीन महाविद्यालय, खरोरा, जिला-रायपुर के नाम परिवर्तन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्र. 1805/1295/आउशि/सम./2021 दिनांक 10.08. 2021 के द्वारा शासकीय नवीन महाविद्यालय, खरोरा, जिला-रायपुर का नाम परिवर्तन की निम्नानुसार सूचना ग्रहण की गई -

पूर्व नाम	वर्तमान में परिवर्तित नाम
शासकीय नवीन महाविद्यालय, खरोरा, जिला-रायपुर (छ.ग.)	स्व. रामप्रसाद देवांगन शासकीय महाविद्यालय, खरोरा, जिला-रायपुर (छ.ग.)

6. एम.फिल./पी-एच.डी. छात्रों को लघु शोध/शोध प्रबंध जमा करने हेतु दिनांक 31.12. 2021 तक समय वृद्धि प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पब्लिक नोटिस क्रमांक-F.No. 1-10/2020(CPP-II) 16<sup>th</sup> March, 2021 के अनुसार यू.जी.सी. की विज्ञप्ति दिनांक 03 दिसंबर 2020 के तारतम्य में एवं शोधार्थियों के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालयों द्वारा एम.फिल./पी-एच.डी. शोध छात्रों को थीसिस जमा करने के लिए 31 दिसंबर 2021 तक समय वृद्धि प्रदान की गई। उपरोक्तानुसार दो सम्मेलनों में शोध-पत्र प्रस्तुतिकरण और शोध-पत्र प्रकाशन के साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए भी वर्णित 6 माह का विस्तार दिया गया। तथापि Fellowship की अवधि पाँच वर्षों की रहेगी।

7. विश्वविद्यालय द्वारा जारी संबद्धता आदेश (सीट वृद्धि) एवं वार्षिक संबद्धता आदेश का सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: (1) शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय, अभनपुर, जिला-रायपुर को विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 50/अका./संबद्धता/2021 दिनांक 21.09.2021 के द्वारा सीट वृद्धि संबद्धता आदेश की सूचना ग्रहण की गई।

क्र.	कक्षा/विषय	निर्धारित सीट संख्या	प्रस्तावित सीट वृद्धि	वृद्धि पश्चात् सीट संख्या	सत्र
1.	बी.कॉम.	120	40	160	2021-22
2.	एम.एस.सी. वनस्पतिशास्त्र (विज्ञान समूह)	20	10	30	

(2) विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों को जारी वार्षिक संबद्धता आदेश, उनके सम्मुख दर्शित सत्र के अनुसार सूचना ग्रहण की गई-

क्र.	महाविद्यालय का नाम	आदेश क्रमांक	सत्र
1	यशवंत राव मेघावले शासकीय महाविद्यालय, मगरलोड, जिला-धमतरी	2425/अका./सम्ब.वृद्धि/2021 दिनांक 11.08.2021	2021-22
2	नवीन शासकीय महाविद्यालय, मैनपुर, जिला-गरियाबंद	2419/अका./सम्ब.वृद्धि/2021 दिनांक 11.08.2021	2020-21 एवं 2021-22
3	शासकीय कचना धुरवा महाविद्यालय, छुरा, जिला-गरियाबंद	2508/अका./सम्ब. वृद्धि/2021 दिनांक 19.08.2021	2019-20, 2020-21 एवं 2021-22
4	स्व. दौलतराम शर्मा शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कसडोल, जिला-बलौदाबाजार- भाटापारा	2524/अका./सम्ब. वृद्धि/2021 दिनांक 27.08.2021	2020-21 एवं 2021-22
5	महर्षि वेद व्यास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भखारा, जिला-धमतरी	19/अका./सम्ब.वृद्धि/2021 दिनांक 17.09.2021	2020-21 एवं 2021-22
6	श्री कुलेश्वर महादेव शासकीय महावि., गोबरा-नवापारा, जिला-रायपुर	86/अका./सम्ब.वृद्धि/2021 दिनांक 24.09.2021	2021-22

8. डॉ. राधाबाई शासकीय नवीन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर नैक हेतु जारी किए गए संबद्धता प्रमाण-पत्र में Self Financing शब्द को हटाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : डॉ. राधाबाई शासकीय नवीन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर को NAAC मूल्यांकन हेतु IIQA ऑनलाईन जमा किए जाने हेतु विश्वविद्यालय पत्र No. 2263/Affiliation/Academic/2021 Raipur, Date 22.07.2021 में कक्षा एम.एस.सी. गणित एवं एम.ए. राजनीति विज्ञान, शासन के आदेशानुसार स्ववित्तीय नहीं रह गए हैं, जिससे Self-Financing शब्द को हटाते हुए एवं संबद्धता प्रमाण-पत्र में उल्लेखित सीटों को हटा कर जारी किए गए नवीन संबद्धता प्रमाण-पत्र क्रमांक 2340/Affiliation/Academic/2021 दिनांक 31.07.2021 की सूचना ग्रहण की गई।

9. प्रस्तावित विनियम क्रमांक 198 – Bachelor of Vocation (B.Voc.) (Interior Design and New program) के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : प्रस्तावित विनियम क्रमांक 198 – Bachelor of Vocation (B.Voc.) (Interior Design and New program) का अनुमोदन किया गया।

10. सत्र 2021–22 के लिए निम्नलिखित महाविद्यालयों ने वार्षिक संबद्धता एवं वृद्धि शुल्क की राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा कर दी है। वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु प्रकरण विद्यापरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :-

क्रमांक	शासकीय महाविद्यालय
1	शासकीय माता कर्मा कन्या महाविद्यालय महासमुंद
2	शास. सुखराम नागे, महाविद्यालय, सिहावा (नगरी) जिला-धमतरी
3	शासकीय नवीन महाविद्यालय, वटगन जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (सत्र 2019-20 एवं 2020-21)
क्रमांक	अशासकीय महाविद्यालय
1	शांतीबाई कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, महासमुंद (छ.ग.)
2	विप्र कला, वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जी.ई. रोड, आमापारा, रायपुर (छ.ग.)
3	विवेकानंद महाविद्यालय, भानसोज, ढाया-मंदिर हसौद, जिला-रायपुर (छ.ग.)
4	दुलीचंद जालान कॉलेज ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, तिलईपाली, सरसीवां जिला- बलौदाबाजार-भाटापारा
5	गुरुकुल इंस्टीट्यूट देवभोग रोड, गरियाबंद, जिला-गरियाबंद (छ.ग.)
6	क्रुति इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, नरदहा, रायपुर

निर्णय: उपरोक्त महाविद्यालयों को वार्षिक अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

### पूरक विषयसूची

1. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र-संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी संबद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
(i)	नवीन शासकीय महाविद्यालय, कंडेल, जिला-धमतरी	B.Sc.-I- Bio Group- (FC- Hindi, English), Botany, Zoology, Chemistry	45	2021-22
		B.Sc.-I-Maths Group- (FC- Hindi, English), Chemistry, Maths, Physics	45	
		B.A.-I- (FC- Hindi, English), Political Science, Economics, Sociology	90	
		B.Com.-I- All Compulsory Subject	90	
निर्णय:	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी संबद्धता दिए जाने की अनुशंसा की गई।			

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
(ii)	कचना धुरवा महाविद्यालय, छुरा, जिला-गरियाबंद	DCA	60 (पूर्व संचालित- 30 सीट वृद्धि- 30)	2020-21
		PGDCA	60 (पूर्व संचालित- 30 सीट वृद्धि- 30)	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी संबद्धता दिए जाने की अनुशंसा की गई। इण्डोमेंट फण्ड के संबंध में महाविद्यालय को पत्र प्रेषित किया जाए।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
(iii)	शास. काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय, अभनपुर, जिला-रायपुर	B.Sc.-II- Computer Sc.	40	2021-22
		M.Sc.-III/IV Sem. Botany	20	
		M.Com.-III/IV Sem.	20	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी संबद्धता दिए जाने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
(iv)	शास. दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर	B.Sc.-I- Add. Sub.- Geography	20	2014-15
		B.Sc.-II- Add. Sub.- Geography	20	2015-16
		B.Sc.-III- Add. Sub.- Geography	20	2016-17
		M.Sc.-I/III Sem. Geography	10	2018-19
		M.Sc.-III/IV Sem.Geography	10	2019-20
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी संबद्धता दिए जाने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
(v)	रामचण्डी महाविद्यालय, सरायपाली, जिला-महासमुंद	B.Sc.-III- Bio Group & Maths Group	40 40	2020-21
		M.A. - III/IV Sem. -Hindi	20	
		M.Com.- III/IV Sem. -	40	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी संबद्धता दिए जाने की अनुशंसा की गई।				

2. रसायन अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के एम.एस-सी. प्रथम सेमेस्टर में 10 पेमेंट सीट वृद्धि की सूचना ग्रहण करना।
- निर्णय : रसायन अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर की एम.एस-सी. प्रथम सेमेस्टर में सत्र 2019-20 से 10 पेमेंट सीट वृद्धि की सूचना ग्रहण की गई।

3. National Skills Qualification Framework के अंतर्गत P.G. Diploma in Renewable Energy Technology and Management के प्रस्तावित अध्यादेश एवं विनियम के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : National Skills Qualification Framework के अंतर्गत P.G. Diploma in Renewable Energy Technology and Management के प्रस्तावित अध्यादेश एवं विनियम का अनुमोदन किया गया।

4. नवीन शासकीय, अशासकीय महाविद्यालयों एवं पूर्व संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम/सीट वृद्धि में प्रवेश की अनुमति की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : (1) नवीन शासकीय एवं पूर्व संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम/सीट वृद्धि की संबद्धता आदेश का निम्नानुसार सूचना ग्रहण की गई –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	विषय	सीट संख्या	आदेश क्रमांक
<b>शासकीय नवीन महाविद्यालय</b>					
1	शासकीय महाविद्यालय, कंडेल, जिला-धमतरी	कला संकाय (बी.ए.)	आधार पाठ्यक्रम- हिंदी एवं अंग्रेजी, राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र	90	1798/परीक्षा/2021 दिनांक 26.08.2021
		वाणिज्य संकाय (बी.कॉम.)	समस्त अनिवार्य विषय	90	
		विज्ञान संकाय बी.एस-सी. (बायो समूह)	आधार पाठ्यक्रम हिंदी एवं अंग्रेजी, वनस्पति शास्त्र, प्राणीशास्त्र, रसायनशास्त्र	45	
		विज्ञान संकाय बी.एस-सी. (गणित समूह)	आधार पाठ्यक्रम हिंदी एवं अंग्रेजी, रसायनशास्त्र, गणित, भौतिकशास्त्र	45	
2	शासकीय नवीन महाविद्यालय, नवागांव, सेक्टर-28, नवा रायपुर, जिला-रायपुर	B.A.-I-	(F.C.- Hindi, English), Political Science, Geography, Sociology	90	102/अका. /संबद्धता/2021 दिनांक 27.09.2021
		B.Sc.-I	F.C.-(Hindi, English), Botany, Zoology, Chemistry	45	
		B.Sc.-I	F.C.-(Hindi, English). Maths. Chemistry. Physics	45	
		B.Com.-I	All Compulsory Subject	90	
3	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, गोबरा नवापारा, जिला-रायपुर	B.A.-I-	(F.C.- Hindi, English), Political Science, Geography, Sociology	90	100/अका. /संबद्धता/2021 दिनांक 27.09.2021
		B.Sc.-I Bio Group	F.C.-(Hindi, English), Botany, Zoology, Chemistry	45	
		B.Sc.-I Maths Group	F.C.-(Hindi, English), Maths, Chemistry, Physics	45	
		B.Com.-I	All Compulsory Subject	90	

पूर्व संचालित शासकीय महाविद्यालय – नवीन पाठ्यक्रम						
1	शासकीय श्यामाचरण महाविद्यालय, धरसीवा, जिला-रायपुर	पं. शुक्ल	एम.कॉम. (प्रथम/द्वितीय सेमेस्टर)		20	72 / अका. / संबद्धता / 2021 दिनांक 23.09.2021
			एम.एस.सी. (प्रथम/द्वितीय सेमेस्टर)	भौतिकशास्त्र	15	
			एम.एस.सी. (प्रथम/द्वितीय सेमेस्टर)	वनस्पतिशास्त्र	15	
2	शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल अभनपुर, जिला-रायपुर	महा.	Diploma in Business Management		30	96 / अका. / संबद्धता / 2021 दिनांक 25.09.2021
			PG Diploma in Yoga Education & Philosophy		30	
			B.C.A.-I		40	

(2) नवीन अथवा पूर्व संचालित अशासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश की अंतिम तिथि निकट होने के कारण, आगामी बैठक के अनुमोदन की प्रत्याशा में जारी किए गए सीट वृद्धि अथवा प्रवेश की अनुमति की सूचना ग्रहण निम्नानुसार की गई –

अशासकीय नवीन महाविद्यालय						
1	कोलम्बिया कॉलेज ऑफ साइंस कॉमर्स, ग्राम-भुरकोनी- टेकारी, विधानसभा के पास, जिला-रायपुर	एंड	बी.कॉम.		40	2672 / अका. / संबद्धता / 2021 दिनांक 15.09.2021
			बी.एस-सी. प्रथम वर्ष	कंप्यूटर साइंस	40	
			पी.जी.डी.सी.ए.		40	
			बी.बी.ए.		40	
पूर्व संचालित अशासकीय महाविद्यालय						
1	कचना महाविद्यालय, छुरा	धुरवा	DCA	सीट वृद्धि	30	114 / अका. / संबद्धता / 2021 दिनांक 27.09.2021
			PGDCA	सीट वृद्धि	30	
2	कला महाविद्यालय जी-जामगांव,	महाविद्यालय	एम.ए. (I & II Sem.)	हिंदी	20	104 / अका. / संबद्धता / 2021 दिनांक 27.09.2021
			बी.ए.	भूगोल, समाजशास्त्र अतिरिक्त विषय / सीट वृद्धि	60	
3	श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, पुराना धमतरी रोड, मुजगहन, सेजबहार, जिला-रायपुर	महाविद्यालय	बी.एस-सी. नवीन विषय	बायो.	40	12 / अका. / संबद्धता / 2021 दिनांक 17.09.2021
			बी.बी.ए.		40	
4	इंडियन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, महासमुंद, जिला-महासमुंद	महाविद्यालय	बी.काम. नवीन विषय	सी.ए.	40	78 / अका. / संबद्धता / 2021 दिनांक 24.09.2021
			पी.जी.डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन एण्ड फिलॉसफी नवीन विषय		30	

05. चंद्रपाल डडसेना शासकीय महाविद्यालय, पिथौरा, जिला-महासमुंद में सीट वृद्धि के संबंध में विचार करना।  
निर्णय : छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला- रायपुर का पत्र क्र. एफ.-3-88/2021/38-1 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 25.09.2021 द्वारा सत्र 2021-22 में प्रवेश मार्गदर्शिका के कंडिका 3.1 के अनुसार चंद्रपाल डडसेना शासकीय महाविद्यालय, पिथौरा, जिला-महासमुंद में निर्धारित सीट संख्या में वृद्धि का निम्नानुसार अनुमोदन किया गया -

क्र.	कक्षा का नाम	निर्धारित सीट संख्या	प्रस्तावित सीट वृद्धि	वृद्धि पश्चात् सीट संख्या
1.	बी.एस.सी. (विज्ञान समूह)	70	45	115
2.	एम.ए. राजनीति शास्त्र	20	30	50

06. सत्र 2021-22 के लिए निम्नलिखित महाविद्यालयों ने वार्षिक संबद्धता एवं वृद्धि शुल्क की राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा कर दी है। वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु प्रकरण विद्यापरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :-

क्रमांक	अशासकीय महाविद्यालय
1	शासकीय शहीद वीरनारायण सिंह महाविद्यालय, बिलाईगढ़
क्रमांक	अशासकीय महाविद्यालय
1	इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी ऑफ साइंसेस, देवभोग रोड, गरियाबंद, जिला-गरियाबंद (छ.ग.)

- निर्णय: उपरोक्त महाविद्यालय को वार्षिक अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

### अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण


01. अध्यादेश क्रमांक 04 की कंडिका 1.1.1 के अनुसार छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुभाग 49(2)(ii) के प्रावधानानुसार - "Three experts in the concerned subject nominated by the Kulpati out of the panel approved by the Academic Council of the University" सीधी भर्ती एवं CAS के तहत शिक्षकों की नियुक्ति हेतु विषय-विशेषज्ञों का पैनल तैयार करने के संबंध में विचार करना।


- निर्णय: विषय-विशेषज्ञों के नामों का पैनल तैयार कराने हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

02. सेमेस्टर परीक्षा मई-जून 2021 के लिए परीक्षा एवं मूल्यांकन पद्धति पर विचार करना।

- निर्णय: विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा 2021 एवं सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर-जनवरी 2020-21 हेतु परीक्षा पद्धति एवं मूल्यांकन योजना जारी किया गया था। विनियम क्रमांक-182 A को कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18.06.2021 में स्वीकृत किया गया था। तदनुक्रम में सेमेस्टर परीक्षा मई-जून 2021 के लिए विनियम क्रमांक-182 B का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।

  
कुलपति  
अध्यक्ष


  
कुलसचिव  
सचिव

पृ. क्रमांक: 190 /अका./वि.परि./2021

रायपुर, दिनांक : 08 /10 /2021

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
2. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर
3. विद्यापरिषद् के समस्त सम्माननीय सदस्यों को।
4. अध्यक्ष, समस्त अध्ययन शाला/ग्रांट सेल/समस्त विभागीय अधिकारी, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
5. वित्त नियंत्रक /अंकेक्षण विभाग,
6. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
उप कुलसचिव (अका.)



छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

--: मंत्रालय ::--

महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर

क्रमांक १४४/F-01002199/L-11-2/ब-4/चार, अटल नगर, जिला रायपुर, दिनांक 05/09/2018  
प्रति,

शासन के समस्त विभाग  
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर  
समस्त विभागाध्यक्ष  
समस्त संभागीय आयुक्त  
समस्त जिलाध्यक्ष  
छत्तीसगढ़


विषय :- राज्य शासन के अधीन कार्यरत निगम/मंडल/आयोग/अर्द्धशासकीय संस्थाओं तथा शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण

- संदर्भ :-
1. इस विभाग का ज्ञापन क्र. 1533/एल-11-2/वित्त/2010/बजट-4/चार, दिनांक 13.10.2011 (वित्त निर्देश 49/2011) एवं
  2. इस विभाग का ज्ञापन क्र. 2279/एल-11-2/वित्त/2010/बजट-4/चार, दिनांक 02.03.2012 (वित्त निर्देश 07/2012)

—000—

संदर्भित वित्त निर्देशों द्वारा राज्य शासन के अधीन कार्यरत निगम/मंडल/आयोग/अर्द्धशासकीय संस्थाओं तथा शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण, 2009 लागू करने संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि इन निगम/मंडल /आयोग/अर्द्धशासकीय तथा शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं को छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 का लाभ दिया जाये।


2- राज्य शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के अधीन कार्यरत निगम/मंडल/आयोग/अर्द्धशासकीय संस्थाओं तथा शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 में दिए प्रावधानों के अनुसार वेतन पुनरीक्षण करते हुए दिनांक 01.07.2018 से इसका आर्थिक लाभ दिया जाए। अर्थात् दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 30.06.2017 तक के वेतन निर्धारण की गणना काल्पनिक रूप से करते हुए आर्थिक लाभ दिनांक 01.07.2018 से देय होगा। दिनांक 01.07.2018 से पूर्व के एरियर्स के संबंध में पृथक से निर्णय लिया जाएगा। विभाग राज्य से अनुदान प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन निर्धारण प्रकरणों की जाँच स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा छः माह की अवधि में अनिवार्य रूप से करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

  
519

3- राज्य शासन से अनुदान प्राप्त संस्थाओं को छत्तीसगढ़ पुनरीक्षण नियम, 2017 का लाभ संबंधित संस्थाओं के नियम / उप नियम के अनुसार गठित संचालक मंडल / प्रबंध बोर्ड तथा प्रशासकीय विभाग के अनुशासा के पश्चात् प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

4- राज्य के ऐसे सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/मण्डलों/आयोगों/विकास प्राधिकरणों, जो स्थापना व्यय या अन्य व्यय हेतु राज्य शासन से कोई अनुदान प्राप्त नहीं करती है, यदि अपने स्वयं के स्रोत से संस्था के नियमित कर्मचारियों को राज्य शासन के कर्मचारियों के समान छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 का लाभ प्रदाय करना चाहते हैं, तो अपनी संचालक मण्डल की सहमति से ऐसा कर सकते हैं। शर्त यह होगी कि संबंधित उपक्रम संचित लाभ की स्थिति में हो तथा नये वेतनमान स्वीकृत होने पर आने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति अपने संसाधनों (वर्तमान में एवं भविष्य में भी) से करें। राज्य शासन द्वारा इस संबंध में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता नहीं दी जाएगी, नये वेतनमान के फलस्वरूप उपक्रम के विकासात्मक एवं व्यवसायिक गतिविधियों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा राज्य शासन को दिया जाने वाला लाभांश भी यथावत् रहेगा। लाभ की स्थिति की पुष्टि का उत्तरदायित्व उपक्रम के प्रबंध संचालक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी का होगा तथा जिस बैठक में उक्त वेतनमान संबंधी निर्णय लिया जाएगा, उस बैठक में वित्त विभाग के प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य होगी। संचालक मंडल में मत भिन्नता होने पर इस में वित्त विभाग की सहमति उपरांत निर्णय लिया जाएगा।


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(सुरेश पाण्डेय) 5/9/18  
अपर सचिव

पृष्ठां. क्रमांक 789/F-01002199/L-11-2/ब-4/चार, अटल नगर, जिला रायपुर, दिनांक 05/09/2018  
प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल / महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग / मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री, छत्तीसगढ़, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर

6. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री, छत्तीसगढ़, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर
7. प्रधान महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर
9. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, जिला रायपुर
10. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
11. राज्य सूचना आयुक्त, इन्द्रावती खण्ड, पुराना मंत्रालय, परिसर, रायपुर
12. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर
13. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, जिला रायपुर
14. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. छत्तीसगढ़, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला / इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर / बिलासपुर, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, जिला रायपुर  
- को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु
20. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर  
को वित्त विभाग की वेबसाइट [www.cgfinance.nic.in](http://www.cgfinance.nic.in) पर अपलोड करने हेतु

  
(सतीश पाण्डेय)  
अपर सचिव

वित्त निर्देश 51/2018

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

--: मंत्रालय ::--

महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर

क्रमांक 791/F-01002199/L-11-2/ब-4/चार,  
प्रति,

अटल नगर, रायपुर, दिनांक 06.09.2018

शासन के समस्त विभाग  
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर  
समस्त विभागाध्यक्ष  
समस्त संभागीय आयुक्त  
समस्त जिलाध्यक्ष  
छत्तीसगढ़


विषय :- राज्य शासन के अधीन कार्यरत निगम/मंडल/आयोग/अर्द्धशासकीय संस्थाओं तथा शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण

संदर्भ :- इस विभाग का ज्ञापन क्र. 788/F-01002199/एल-11-2/वित्त/2010/बजट-4/चार, दिनांक 05.09.2018 (वित्त निर्देश 50/2018)

—000—

संदर्भित वित्त निर्देश द्वारा राज्य शासन के अधीन कार्यरत निगम/मंडल/आयोग/अर्द्धशासकीय संस्थाओं तथा शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 में दिए प्रावधानों के अनुसार वेतन पुनरीक्षण करते हुए दिनांक 01.07.2018 से आर्थिक लाभ दिया गया है।

2- उक्त वित्त निर्देश के पैरा-2 में अंकित "दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 30.06.2017 तक के वेतन निर्धारण की गणना काल्पनिक रूप से करते हुए आर्थिक लाभ दिनांक 01.07.2018 से देय होगा।" के स्थान पर "दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 30.06.2018 तक के वेतन निर्धारण की गणना काल्पनिक रूप से करते हुए आर्थिक लाभ दिनांक 01.07.2018 से देय होगा।" पढ़ा जावे।


  
(सतीश पाण्डेय) 6/9/18  
अपर सचिव

पृष्ठां. क्रमांक 792/F-01002199/L-11-2/ब-4/चार,  
प्रतिलिपि :-

अटल नगर, रायपुर, दिनांक 06/09/2018

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर

3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल / महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग / मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री, छत्तीसगढ़, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर
7. प्रधान महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर
9. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, जिला रायपुर
10. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
11. राज्य सूचना आयुक्त, इन्द्रावती खण्ड, पुराना मंत्रालय, परिसर, रायपुर
12. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर
13. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, जिला रायपुर
14. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. छत्तीसगढ़, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला / इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर / बिलासपुर, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, जिला रायपुर  
- को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु
20. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर  
को वित्त विभाग की वेबसाइट [www.cgfinance.nic.in](http://www.cgfinance.nic.in) पर अपलोड करने हेतु

  
 (सुरेश पाण्डेय)  
 अपर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

--: मंत्रालय :-

महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर

1003

क्रमांक /F-01002199/L-11-2/ब-4/चार,  
प्रति,

अटल नगर, रायपुर, दिनांक 06/10/2018

शासन के समस्त विभाग  
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर  
समस्त विभागाध्यक्ष  
समस्त सभागीय आयुक्त  
समस्त जिलाध्यक्ष  
छत्तीसगढ़

विषय :- राज्य शासन के अधीन कार्यरत निगम/मंडल/आयोग/अर्द्धशासकीय संस्थाओं तथा शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण के अंतर्गत बकाया वेतन का भुगतान

संदर्भ :- 1. इस विभाग का ज्ञापन क्र. 788/F-01002199/ एल-11-2/वित्त/2010/बजट-4/चार, दिनांक 05.09.2018 (वित्त निर्देश 50/2018) एवं  
2. इस विभाग का ज्ञापन क्र. 791/F-01002199/एल-11-2/वित्त/2010/बजट-4/चार, दिनांक 06.09.2018 (वित्त निर्देश 51/2018)


—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत वित्त विभाग जारी द्वारा वित्त निर्देश 50/2018 एवं 51/2018 में राज्य शासन के अधीन कार्यरत निगम/मंडल/आयोग/अर्द्धशासकीय संस्थाओं तथा शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं, कर्मचारियों के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2016 से छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 लागू किया गया है तथा दिनांक 1.7.2018 से नियमित भुगतान किया जाकर 1 जनवरी, 2016 से 30 जून, 2018 तक 30 माह के बकाया वेतन के भुगतान के संबंध में पृथक निर्देश जारी करने का निर्णय लिया गया है।

2- राज्य शासन द्वारा राज्य शासन के अधीन कार्यरत निगम/मंडल/आयोग/अर्द्धशासकीय संस्थाओं तथा शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से दिनांक 30 जून, 2018 की अवधि के बकाया स्वत्वों (वेतन एरियर्स) का 6 समान वार्षिक किश्तों में नगद भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। प्रथम किश्त के रूप में माह जनवरी 2016 से मई, 2016 तक के बकाया वेतन का भुगतान वर्ष 2018-19 में किया जाए। शेष किश्तों के भुगतान के संबंध में यथासमय आदेश प्रसारित किया जाएगा।

3- राज्य शासन के अधीन कार्यरत निगम/मंडल/आयोग/अर्द्धशासकीय संस्थाओं तथा शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति/मृत्यु, दिनांक 1.1.2016 के उपरांत होने की स्थिति में, उन्हें वेतन के शेष रहे एरियर्स का भुगतान सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि को एकमुश्त नगद रूप में सेवानिवृत्त कर्मचारी अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी के परिवार, जैसी स्थिति हो, को किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार


  
(सतीश चण्डेय) 6/10/18  
अपर सचिव

1004

पृष्ठा क्रमांक /F-01002199/L-11-2/ब-4/चार, अटल नगर, रायपुर, दिनांक 06/10/2018  
प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल / महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग / मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री, छत्तीसगढ़, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर
7. प्रधान महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर
9. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, जिला रायपुर
10. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
11. राज्य सूचना आयुक्त, इन्द्रावती खण्ड, पुराना मंत्रालय, परिसर, रायपुर
12. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर
13. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, जिला रायपुर
14. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. छत्तीसगढ़, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला / इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़

18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर / बिलासपुर, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, जिला रायपुर  
- को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु
20. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर  
को वित्त विभाग की वेबसाइट [www.cgfinance.nic.in](http://www.cgfinance.nic.in) पर अपलोड करने हेतु

  
(अनीश पाण्डेय)  
अपर सचिव



छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त विभाग

--: मंत्रालय ::--

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर  
जिला रायपुर

क्रमांक 1177/F-01002199/ब-4/चार  
प्रति,

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 31/10/2019

शासन के समस्त विभाग  
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर  
समस्त विभागाध्यक्ष  
समस्त संभागायुक्त  
समस्त जिलाध्यक्ष,  
छत्तीसगढ़

विषय :- राज्य शासन के अधीन कार्यरत निगम/मंडल/आयोग/अर्द्धशासकीय संस्थाओं तथा शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण के अंतर्गत बकाया वेतन का भुगतान

- संदर्भ :-
1. इस विभाग का ज्ञापन क्र. 788/F-01002199/एल-11-2/बजट-4/चार, दिनांक 05.09.2018 (वित्त निर्देश 50/2018)
  2. इस विभाग का ज्ञापन क्र. 791/F-01002199/एल-11-2/बजट-4/चार, दिनांक 06.09.2018 (वित्त निर्देश 51/2018)
  3. इस विभाग का ज्ञापन क्र. 1003/F-01002199/एल-11-2/बजट-4/चार, दिनांक 06.10.2018 (वित्त निर्देश 53/2018)

---000---


उपरोक्त विषयांतर्गत वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 50/2018 एवं 51/2018 में राज्य शासन के अधीन कार्यरत निगम/ मंडल/ आयोग/अर्द्धशासकीय संस्थाओं तथा शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2016 से छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 लागू किया गया है तथा दिनांक 01.07.2018 से नियमित भुगतान किया जाकर 01 जनवरी, 2016 से 30 जून, 2018 तक 30 माह के बकाया वेतन के भुगतान के संबंध में पृथक निर्देश जारी करने का निर्णय लिया गया है।

2- राज्य शासन द्वारा राज्य शासन के अधीन कार्यरत निगम/ मंडल/ आयोग/अर्द्धशासकीय संस्थाओं तथा शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से दिनांक 30 जून, 2018 की अवधि के बकाया स्वत्वों (वेतन एरियर्स) का 6 समान वार्षिक किश्तों में नगद भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। वित्त निर्देश 53/2018 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में माह जनवरी, 2016 से मई, 2016 तक के बकाया वेतन का भुगतान हेतु आदेश जारी किया गया है।



3- राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि द्वितीय किश्त के रूप में माह जून, 2016 से माह अक्टूबर, 2016 तक के बकाया वेतन का भुगतान वर्ष 2019-20 में किया जाए। शेष किश्तों के भुगतान के संबंध में यथासमय आदेश प्रसारित किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(अनील पाण्डेय)  
अपर सचिव

पृष्ठां. क्रमांक 1178/F-2013-04-00224/ब-4/चार अटल नगर, दिनांक 31/10/2019  
प्रतिलिपि :-


1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/ लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़,
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय,
9. अपर मुख्य सचिव/सचिव, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय,
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर -19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर
13. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर विविध सेवा मार्ग, बिलासपुर
14. समस्त अपर सचिव/संचालक, बजट/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,
15. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
16. मुख्य लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
18. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला /इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
19. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर / बिलासपुर, छत्तीसगढ़
20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर

21. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़

22. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ मंत्रालय,

– को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु

23. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नवा रायपुर अटल नगर को वित्त विभाग की वेबसाइट [www.cgfinance.nic.in](http://www.cgfinance.nic.in) पर अपलोड करने हेतु

  
(अरविंद कुमार)  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

—: मंत्रालय ::—

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक 63 / F-01002199 / एल-11-2 / ब-4 / चार  
प्रति,

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 10/05/2021

शासन के समस्त विभाग  
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर  
समस्त विभागाध्यक्ष  
समस्त संभागायुक्त  
समस्त जिलाध्यक्ष,  
छत्तीसगढ़

विषय :-

राज्य शासन के अधीन कार्यरत निगम/मंडल/आयोग/अर्द्धशासकीय संस्थाओं तथा शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण के अंतर्गत बकाया वेतन का भुगतान

संदर्भ :-

1. इस विभाग का ज्ञापन क्र. 788 / F-01002199 / एल-11-2 / बजट-4 / चार, दिनांक 05.09.2018 (वित्त निर्देश 50 / 2018)
2. इस विभाग का ज्ञापन क्र. 791 / F-01002199 / एल-11-2 / बजट-4 / चार, दिनांक 06.09.2018 (वित्त निर्देश 51 / 2018)
3. इस विभाग का ज्ञापन क्र. 1003 / F-01002199 / एल-11-2 / बजट-4 / चार, दिनांक 06.10.2018 (वित्त निर्देश 53 / 2018)
4. इस विभाग का ज्ञापन क्र. 1177 / F-01002199 / ब-4 / चार, दिनांक 31.10.2019 (वित्त निर्देश 22 / 2019)


—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 50/2018 एवं 51/2018 में राज्य शासन के अधीन कार्यरत निगम/मंडल/आयोग/अर्द्धशासकीय संस्थाओं तथा शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2016 से छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 लागू किया गया है तथा दिनांक 01.07.2018 से नियमित भुगतान किया जाकर 01 जनवरी, 2016 से 30 जून, 2018 तक 30 माह के बकाया वेतन के भुगतान के संबंध में पृथक निर्देश जारी करने का निर्णय लिया गया है।

2- राज्य शासन द्वारा राज्य शासन के अधीन कार्यरत निगम/मंडल/आयोग/अर्द्धशासकीय संस्थाओं तथा शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से दिनांक 30 जून, 2018 की अवधि के बकाया स्वत्वों (वेतन एरियर्स) का 6 समान वार्षिक किश्तों में नगद भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। वित्त निर्देश 53/2018 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में माह जनवरी, 2016 से मई, 2016 तक एवं वित्त निर्देश 22/2019 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में जून, 2016 से अक्टूबर, 2016 तक के बकाया वेतन का भुगतान हेतु आदेश जारी किया गया है।

3- राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि तृतीय किश्त के रूप में माह नवम्बर, 2016 से माह मार्च, 2017 तक के बकाया वेतन का भुगतान किया जाए। शेष किश्तों के भुगतान के संबंध में यथासमय आदेश प्रसारित किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(प्रतीश पाण्डेय) (11/5/21)  
अपर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग


नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 10/05/2021

पृष्ठां. क्रमांक 64 / F-01002199 / एल-11-2 / ब-4 / चार  
प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल / महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग / मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री / राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़,
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
9. सचिव, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर -19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर
13. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर विविध सेवा मार्ग, बिलासपुर
14. समस्त विशेष सचिव / अपर सचिव / संचालक, बजट / संयुक्त सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / शोध अधिकारी / विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
15. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
16. मुख्य लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
18. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला / इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
19. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर / बिलासपुर, छत्तीसगढ़
20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
21. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़
22. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

- को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु

23. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नवा रायपुर अटल नगर को वित्त विभाग की वेबसाइट [www.cgfinance.nic.in](http://www.cgfinance.nic.in) पर अपलोड करने हेतु

  
(अनंद कुमार)  
अवर / सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालयः  
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर

क्रमांक एफ 5-1/2021/38-2  
प्रति,

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 6/10/2021

आयुक्त,  
उच्च शिक्षा संचालनालय,  
इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।

विषय :- विश्वविद्यालयीन कर्मचारियों को सातवां वेतनमान प्रदान करने विषयक।  
संदर्भ :- आपका ज्ञापन क्रमांक 79/159/आउशि/वि.वि.अनु./2021, दिनांक 27/5/2021

-0-

प्रदेश के समस्त राजकीय विश्वविद्यालयीन कर्मचारियों को राज्य शासन के कर्मचारियों के अनुरूप छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 का लाभ दिये जाने संबंधी प्रस्ताव पर, राज्य शासन, एतद् द्वारा, दिनांक 01/07/2018 से राज्य के गैर-शैक्षणिक अधिकारियों/कर्मचारियों को सातवें वेतनमान लागू करने की स्वीकृति इस शर्त पर दी जाती है कि एरियर की राशि संबंधित वर्षों में दिए गए ब्लॉक ग्रांट के विरुद्ध ही संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा समायोजित किया जायेगा। इस हेतु पृथक से अनुदान नहीं दी जायेगी।

यह सहमति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 38-00021/वित्त विभाग/ब-3, दिनांक 06/10/2021 द्वारा प्रदान की गई है।

मान. व. स. क. शि  
अवर सचिव/आदेशार्थ

6.10.21

6.10.2021

6.10.21

FC 419  
o/c DRCA

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(गौरीशंकर शर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन



उच्च शिक्षा विभाग

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 6/10/2021

पृ.क्र. एफ 5-1/2021/38-2

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
2. महालेखाकार छत्तीसगढ़, रायपुर,
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,



//2//

4. क्षेत्रीय अपर संचालक कार्यालय, उच्च शिक्षा, रायपुर/दुर्ग/बस्तर/बिलासपुर/अंबिकापुर,
  5. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, इन्द्रावती भवन, कोषालय, नवा रायपुर अटल नगर,
  6. कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,
  7. कुलसचिव, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग,
  8. कुलसचिव, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर,
  9. कुलसचिव, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा, अम्बिकापुर,
  10. कुलसचिव, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर,
  11. कुलसचिव, शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़,
  12. कुलसचिव, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर,
  13. कुलसचिव, पं. सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, बिलासपुर,
  14. कुलसचिव, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़,
  15. जिला कोषालय अधिकारी, जिला-रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/राजनांदगांव/बस्तर/अंबिकापुर/रायगढ़,
- की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
16. आदेश फोल्डर।

  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
उच्च शिक्षा विभाग

o/c

# कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय

ब्लाक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर (छ.ग.)  
फोन नं.- 0771-2263412, फैक्स- 2263412, Email- highereducation.cg@gmail.com

पत्र क्र. 445 /159/आउशि/वि.वि.अनु./2021  
प्रति,

अटल नगर, दिनांक 06/10/2021

कुलसचिव,  
समस्त राजकीय विश्वविद्यालय,  
छत्तीसगढ़

विषय:- विश्वविद्यालयीन कर्मचारियों को सातवां वेतनमान प्रदान करने विषयक।  
संदर्भ:- छ.ग. उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्र. एफ 5-1/2021/38-2 दिनांक 06.10.2021

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र की छायाप्रति आपकी ओर संलग्न प्रेषित कर लेख है कि राज्य शासन द्वारा विश्वविद्यालयीन गैर शैक्षणिक अधिकारी/कर्मचारियों को राज्य शासन के कर्मचारियों के अनुरूप छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017, का लाभ दिनांक 01.07.2018 से वित्त विभाग के जाचक क्रमांक 38-00021/वित्त विभाग/व-3 दिनांक 06.10.2021 के द्वारा दी गई सहमति के आधार पर दी गई है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

अपर सचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा संचालनालय,  
अटल नगर, रायपुर  
अटल नगर, दिनांक 06/10/2021

पृ.पत्र क्र. 446 /159/आउशि/वि.वि.अनु./2021  
प्रतिलिपि :-

विशेष सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय की ओर पत्र क्रमांक एफ 5-1/2021/38-2 दिनांक 06.10.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ।

अपर सचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा संचालनालय,  
अटल नगर, रायपुर